न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 123/2021 **दायर दिनांक :—15.07.2021**

उनवान

1. संतोष बाई आयु 38 वर्ष पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादिया

बनाम

1. सुरेश कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 48, 88, 89, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :—

वादिया :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा प्रति. कम 1

निर्णय दिनांक 21/04/2022

पत्रावली पेश हुई। वादिया ने वाद अन्तर्गत धारा 48, 88, 89, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आश्य का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 121 का ख0नं0 365 का रकबा 3.95 है0 आराजी खातेदार जानकीलाल पुत्र श्रवणलाल जाति धाकड निवासी बमोरी के नाम राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज थी। जिसमें से वादिया ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा उसके पति धनराज के लगवा की आराजी ख0नं0 365 का रकबा 3.95 है0 में से 0.51 है0 दिनांक 12.07.2017 को क्रय की थी। उक्त आराजी वादिया द्वारा क्रय करने के बाद खातेदार जानकीलाल ने धनराज के लगवा 0.51 है0 पर मौके पर कब्जा संभनाया था। खरीद की दिनांक से वादिया उक्त रकबे को काबिज काश्त करती चली आ रही है। वाद पत्र के साथ नकल विक्रय विलेख एवं नवीन जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 एवं नक्शा ट्रेस पेश है जो काबिल गौर है। हल्का पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.

07.2017 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करके आराजी वादिया के नाम खाते दर्ज करते समय ख0नं0 365 का रकबा 3.95 है0 का पृथक से खाता संख्या 398 का मिन ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.51 है0 बनाकर हल्का पटवारी ने गलती से वादिया के खाते दर्ज कर दी तथा इसी प्रकार खाता संख्या 411 का ख00 1071/365 का रकबा 0.49 है0 बनाकर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दिया। जबकि ख0नं0 365 में से रकबा 0.51 है0 वादिया द्वारा क्रय किया गया था और खरीद की दिनांक से ही वादिया उक्त रकबे पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ख0नं0 365 में से रकबा 0.49 है0 क्रय किया था जिस पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय आराजी राजस्व रिकार्ड में अदल बदल दर्ज कर दी है जबकि विक्रय विलेख के आधार पर आराजी ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 वादिया के नाम खाते दर्ज होना चाहिए था तथाख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज होना चाहिए था। वादिया के कब्जे काश्त की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज होना चाहिए था। वादिया के कब्जे काश्त की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी ख00 1071/365 का रकबा 0.51 है0 को दिनांक 30.06.2021 को काश्त करने की धमकी दी है। प्रतिवादी क्रम 1 वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक कृत्य में सफल रहे और वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी ख00 1071/365 का रकबा 0.51 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया गया तो वादिया को प्राप्त हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा जिसके फलस्वरूप वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही है तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादिया वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की पारित की जावे कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख 398 का ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.51 है0, खाता संख्या 411 का ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.49 है0 को अदला बदली करते हुए राजस्व नक्शे में भी ख0नं0 अदला बदली करते हुये धनराज के खाते की आराजी ख0नं0 1072/365 के लगवा ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 वादिया के नाम खाते दर्ज की जावे तथ ख0नं0 1077/365 का

रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 वादिया के कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 पर जबरन कब्जा कर लेवे तो उसे बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिया को ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 को शांन्तिपूर्वक काश्त करने देवे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 30.06.2021 को वादिया के पति धनराज द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से आराजी अदला बदली करने को कहने पर उसके द्वारा आराजी अदला बदली करने से इंकार होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 02.07.2021 को वादिया के कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 को हांकने की धमकी देने पर माननीय न्यायाल के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादिया द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी दो माह दिनांक 02.07.2021 को प्रेषित करवा दिया गया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 वादिया के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। यदि नोटिस अवधि दो माह समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस अवधि के दौरान प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जबरन वादिया के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर लिया गया तो वादिया द्वारा बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादिया का वाद आवश्यक प्रकृति को होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 के साथ माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिया को वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुये वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमित सुनवाई के आदेश फरमावे। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 मं स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है तथा वाद आराजी अदला बदली एवं घोषणा का होने की वजह से उक्त वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पेश कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावे किः—

(अ) ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू की आराजी अदला बदली करते हुये ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 वादिया के खाते दर्ज की जावे, इसी प्रकार ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जावे। जिस पर वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है। इसी प्रकार राजस्व तरमीम किया जावे।

(ब) यदि दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 पर जबरन कब्जा कर लेवे तो प्रतिवादी क्रम 1 को बेदखल करके कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिया को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां में वादिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने एक ही खाता संख्या 121 का ख0नं0 365 का रकबा 3.95 है0 में से वादिया ने 0.51 है0 आराजी अपने पति धनराज के खेत के लगवा वादली क्रय की थी। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 सुरेश कुमार को भी 0.49 है0 आराजी उक्त ख0नं0 365 में से जर्ये दान पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी। विक्रय विलेख के मुताबिक वादिया तथा दान पत्र के मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय नवीन खाता संख्या बनाकर ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.51 है0 वादिया के खाते दर्ज कर दिया इसी तरह से ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दिया जबकि वादिया ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 पर काबिज है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 पर काबिज काश्त है। इस वजह से वादिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 राजीनामा पेश कर निवेदन करते है कि दोनों पक्षों के ख0नं0 में अदला बदली करते हुये वादिया को ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया

जावे, इसी तरह से प्रतिवादी क्रम 1 को ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अतः माननीय न्यायालय में वादिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 राजीनामा पेश कर निवेदन करते है कि उक्तानुसार राजीनामा तस्दीक फरमाते हुये आराजी का ख0नं0 अदला बदली करते हुये 1071/365 का रकबा 0.51 है0 वादिया के खाते दर्ज की जावे तथा ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जावे तथा मुताबिक राजीनामा नक्शा ट्रेस में भी ख0नं0 दुरूस्त किये जावे।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया, वादी की पहचान श्री मोहनलाल सुमन एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री दिगविजय विजय सिंह हाडा एड. द्वारा की गई राजीनामा तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां की संवत 2070—2073 की जमाबन्दी के खाता संख्या 398 का ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.51 है0 आराजी सन्तोषबाई पत्नि धनराज के खाते दर्ज है। खाता संख्या 411 का ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.49 है0 आराजी सुरेश नागर पुत्र जानकीलाल के दर्ज खाता स्थित है। वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 आपसी सहमति से ख0नं0 बदने पर सहमत है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/40 दिनांक 7.1.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि मौके अनुसार ख0नं0 1077/365 रकबा 0.51 है0 व ख0नं0 1071/365 रकबा 0.49 है0 को मौके स्थिति अनुसार भू—राजस्व नक्शा में तरमीम शुद्ध की जानी अपेक्षित है अर्थात सुरेश पुत्र जानकीलाल का ख0नं0 1071/365 रकबा 0. 49 है0 तथा संतोष बाई पत्नि धनराज धाकड ख0नं0 1077/365 रकबा 0.51 है0 को आपस में विस्थापित कर उक्त मौका नक्शा अनुसार दर्ज किया जाना उचित है। अतः न्यायहित में वादिया का वाद आपसी सहमति से स्वीकार योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 आराजी पर वादिया सन्तोष बाई पत्नि धनराज को तथा ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादी क्रम 1 सुरेश नागर पुत्र जानकीलाल को खातेदार

कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार नक्शा तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 123/2021

उनवान

1. संतोष बाई आयु 38 वर्ष पत्नि धनराज जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादिया

बनाम

1. सुरेश कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 48, 88, 89, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :–

वादिया :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा प्रति. कम 1

मिनजानित मुदई रूबरू ....र...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां के ख0नं0 1071/365 का रकबा 0.51 है0 आराजी पर वादिया सन्तोष बाई पत्नि धनराज को तथा ख0नं0 1077/365 का रकबा 0.49 है0 पर प्रतिवादी कम 1 सुरेश नागर पुत्र जानकीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार नक्शा तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....र..................... मुबालिक ....र............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......र....................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....र.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.04.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)